1034जेउ/6-रा-1-2012-4जी/12

प्रेषक,

[illegible]
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
लखनऊ एवं गोरखपुर मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

गृह (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 26 अक्टूबर, 2012

विषय :आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में निरूद्ध प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/ लोकतंत्र सेनानियों को वित्तीय वर्ष–2012–2013 में सम्मान राशि स्वीकृत किये जाने हेतु धनराशि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 में दिनांक–25.06.1975 से 21.03.1977 तक आपात कालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में निरूद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को रू0 3000/– प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि दिये जाने हेतु रू0 1,36,32,000=00 (रू0 एक करोड़ छत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में जैसाकि संलग्न परिशिष्ट में जिले के सम्मुख दर्शायी गयी है, आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिस हेतु यह स्वीकृत की गई है।

3– उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद एवं शासन को भेजेंगे। यदि इसमें कोई कठिनाई होती है, तो उसका निराकरण सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा किया जायेगा। मण्डलायुक्तगण कृपया अपने पर्यवेक्षण में इस कार्य को कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4– सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को चेक वितरित किये जाने के सम्बन्ध में पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

5– इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नही हो जाता, जहां सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की

मद इस शासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य मद में व्यय कदापि न किया जाय।

5— उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—28 के लेखा शीर्षक—"2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—आयोजनेत्तर—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम—800—अन्य व्यय—03—आपात कालीन अवधि में मीसा एवं डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि का भुगतान—42—अन्य व्यय" के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

6— ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—1515/दस—2012—23/2012 दिनाक 09.07.2012 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त

भवदीय,

(चन्द्र भानु)
सचिव।

संख्या—1034(1)जेड/6—सा—1—2012—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट—प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यानिष्ठा भवन, 15—थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4— मण्डलायुक्त, लखनऊ एवं गोरखपुर मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5— कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6— संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
7— निदेशक/सचिव, उत्तर प्रदेश, स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ।
8— निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1
10— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—12
11— इन्चार्ज एन0आई0सी0 नेट सेल, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
12— बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–1034जेड/6–सा–1–12–06–4जी/2012, दिनांक
26 अक्टूबर 2012 का संलग्नक परिशिष्ट
अप्रैल, 2012 से प्रारम्भिक 4 माह हेतु धनराशि का आवंटन

क्रस0	मण्डल	जनपद	लोकतंत्र सेनानियों की संख्या	धनराशि रू0 में
1	लखनऊ	लखनऊ	106	12,72,000=00
2		हरदोई	86	10,32,000=00
3		लखीमपुर खीरी	143	17,16,000=00
4		रायबरेली	74	8,88,000=00
5		सीतापुर	144	17,28,000=00
6		उन्नाव	22	2,64,000=00
7	गोरखपुर	गोरखपुर	258	30,96,000=00
8		कुशीनगर	74	8,88,000=00
9		देवरिया	165	19,80,000=00
10		महराजगंज	64	7,68,000=00
		योग–	1136	1,36,32,000=00

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।